



दिनांक / Date: 18.03.2025

## सूचना / NOTICE

सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें मेडिकल बिल के लिए अपने **मेडिकल आई-कार्ड की प्रति संलग्न** करना आवश्यक है। बिना मेडिकल आई-कार्ड, प्रतिपूर्ति का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

All Teaching and Non-Teaching staff, Pensioners and Family Pensioners are hereby informed that they **must attach copy of their Medical I-card** for Medical Reimbursement. Without the Medical I card, reimbursement request will not be entertained.

निदेशक / Director



1.10.h